प्र/निग0/रीवा/भू-रा0/2018/01560

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा

म0प्र0

राघवेन्द्र खरे तनय श्री दुर्गा प्रसाद खरे निवासी उपरहटी तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

----आवेदक

बनाम

1. रामलाल तनय छविलाल राम ब्राम्हण
2. बद्री प्रसाद तनय छविलालराम ब्राम्हण दोंनो निवासी ग्राम कुठुलिया तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

---अनावेदकगण

अधि0 श्री मुनेन्द्र कु0 मिश्रा
द्वारा पेश 06-3-18

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई0 बिरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर रीवा दिनांक 01.02.18 जो प्रकंरण कमांक 15/स्वप्रेरणा/निगरानी/वी-121/2015-16 मे पारित।

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. अपर कलेक्टर महोदय का आदेश दिनांक 01.02.18 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रकिया तथा सिंद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है।
2. तत्कालीन अपर कलेक्टर महोदय ने मामले के सारभूत तात्विक बिन्दुओं पर विचार किए बिना संक्षिप्तः स्वप्रेरणा पुनरीक्षण प्रकरण जो कि तत्कालीन अपर कलेक्टर ने स्वप्रेरणा से प्रकरण सुनवाई के लिए पंजीबद्ध करके गुणदोष पर निष्कर्ष देकर निराकृत करने संबंधी आदेश

(104)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II/निग.-/18/1560 जिला– रीवा

राघवेन्द्र खरे विरूद्ध रामलाल व्रा०

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री मनोज कुमार मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 15/अ-निग./अ/21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 01.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 07-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	